राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्याः 45/2025
निर्णय दिनांकः 21.07.2025
जीसीएमएस सं0: 2025/88
दायर दिनांकः 02.04.2025

1. रामेश्वरलाल पुत्र प्रभुराम निवासी ग्राम कोलासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू
................वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू
.................प्रतिवादी

उपस्थितः
1. वादी अधिवक्ता श्री गोवर्धनलाल चौधरी।
2. प्रतिवादी पैरोकार राज।

दावा रिकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी रोही ग्राम कोलासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू का निवासी है। रोही मुरडाकिया तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 145 के खसरा संख्या 217 तादादी 9.3825 है0, खसरा नम्बर 218 तादादी 4.5648 है0 व खसरा संख्या 226 तादादी 1.3909 है0 वादी के संयुक्त खातेदारी में दर्ज स्थित है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी के नाम रामुराम पुत्र प्रभुराम दर्ज है जबकि वादी का वास्तविक नाम रामेश्वर लाल पुत्र प्रभुराम है। वादी के अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, परिवार राशनकार्ड आदि समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम रामेश्वर लाल पुत्र प्रभुराम अंकित है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते सुजानगढ़ जिला-चूरू

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण वादी को सरकारी लाभांश आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण वादी की खातेदारी भूमि में वादी का नाम दुरस्त करवाना वादी के लिए आवश्यक है।

वादी का खेत रोही मुरडाकिया तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू में होने के कारण प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

राजस्व वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी के दस्तोवजों आधारकार्ड, पैनकार्ड, राशनकार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में नाम रामेश्वरलाल पुत्र प्रभुराम अंकित है। अतः तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रामुराम पुत्र प्रभुराम की बजाय रामेश्वर लाल पुत्र प्रभुराम दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड में वादी का नाम रामेश्वर लाल अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

—ःआदेशः—

वाद वादी स्वीकार किया जाकर अवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही मुरडाकिया तहसील सुजानगढ़ में खेत संख्या नया 145 के खसरा संख्या 217 तादादी 9.3825 है0, खसरा नम्बर 218 तादादी 4.5648 है0 व खसरा संख्या 226 तादादी 1.3909 है0 तहसील सुजानगढ़ में दर्ज खातेदार रामुराम के स्थान पर रामेश्वर लाल दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 21.07.2025 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला–चूरू
सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़